

25

RCMS
2019/00004
6/1/19

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी



राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
सिणधरी

बनाम

कैशाराम, झजुनराम, बलराम पिप्रेवाराम
शम्भादेवी पानि विरानाराम कौम जाट
निवारी सिणधरी चोरगान

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न25/सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
01-3-19	<p>पटवारी हल्का <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् <u>2075</u> में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा संख्या <u>104/2</u> रकबा <u>0-05 बीघा</u> किस्म भूमि <u>गैर सायल</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर का त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>18/03/19</u> को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार सिणधरी</p>	<p>केसाराम</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सायल उपस्थित नोटिब बाड तामिल प्राप्त जिले शामिल मिसल किताब बना। गैर सायल के जवाब हेतु सप्तम चाहा जो दिनांक 28/3/19 के प्रस्तुत है। पत्रावली प्राप्त/शुद्ध मिले किताब बना।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर</p>

28/3/19 पत्रावली भाण प्रस्तुत हुई। गैर सामल
केसाम उपस्थित। गैर सामल भतिकरण
इशाने हुये समग्र चहता है। जो डिप
जाकर पत्रावली भाण्डा दिनांक 15/4/19
को प्रस्तुत है।

केसाम

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

15/4/19 पत्रावली भाण प्रस्तुत हुई। गैर सामल
अनुपस्थित। पत्रावली भाण्डा दिनांक
06/5/19 को प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

6/5/19 पत्रावली भाण प्रस्तुत हुई। गैर सामल
अनुपस्थित। गैर सामल द्वारा दि. 18/3/19
को प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया
जवाब के कोई विधि संगत तथ्य नहीं पाए
गये एवं न ही गैर सामल द्वारा कठिने के
संदर्भ के कोई विधि भाण्डा दस्तावेज प्रस्तुत किए
हैं। अतः गैर सामल के भतिकारी चेपिते किया
जाता है। पत्रावली केसाम सुगत है। निर्णय
प्रथक के लिखा जाकर प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2019-20 के राजस्व लेखा पंजिका स. 4 के
पृष्ठ सं. 1 पर क्र.सं. 4 पर जुमाना/फसल
निलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी